तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रामविलास मुण्डेल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़शहर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 242 / 2019**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामविलास मुण्डेल पुत्र उगराराम जाट निवासी 181 ए, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.10..2019 में उसके द्वारा (1) खसरा नम्बर 2254 ग्राम भाकरों की ढाणी मूल खसरा कितने बीघा का था तथा बाद में कितने भाग हो गये जो पहले बोरून्दा का खसरा था व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 3375 दिनांक 06.01.2020 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 1, 3, 4, 5 से संबंधित समस्त सूचनाएं इस कार्यालय के पत्रांक द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रदान कर दी गई है। बिन्दु सं0 2 से संबंधित सूचना तहसीलदार बिलाड़ा से संबंधित होने से संबंधित कार्यालय को स्थनान्तरित कर दी गई है। रिपोर्ट के साथ संलग्न कागजात का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार पीपाड़शहर ने निर्धारित अवधि में प्रार्थी को सूचना न देकर, अपील दायर करने के पश्चात् अपीलार्थी को सूचना दी गई तथा बिन्दु संख्या 2 से संबंधित सूचना के लिए तहसीलदार बिलाड़ा को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की गई जो खेदजनक है अतः इन्हें हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नियत अवधि में करने की कार्यवाही करें तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या–2 से संबंधित सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	